लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

वित्त समिति की कार्यवृत्ति

वित्त समिति की बैठक दिनांक 04 अप्रैल, 2018 को सांय 3.30 बजे प्रशासनिक भवन कुलपति कार्यालय में आहूत की गयी। बैठक में निम्न अधिकारीगण उपस्थित रहे:–

1.	डा0 एस. पी. सिंह	कुलपति	अध्यक्ष
2.	श्री के.सी. राय शर्मा,	उप– सचिव, उ0शि0 उ0प्र0 शासन प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा	सदस्य
3.	श्री नरेन्द्र कुमार चौबे	अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन प्रतिनिधि प्रमुख सचिव वित्त।	सदस्य
4.	प्रो0 आर. के. सिंह	कार्यवाहक कुलसचिव	सदस्य
5.	प्रो0 ए. के. शर्मा,	परीक्षा नियंत्रक	सदस्य
6.	प्रो0 नवीन के. खरे	राज्य समन्वयक, जे.ई.ई.बी.एड. प्रवेश परीक्षा 2018–20	विशेष आमंत्रित सदस्य
7.	प्रो0 अनिल मिश्रा	कोआर्डिनेटर, यू.जी./पी.जी. प्रवेश परीक्षा 2018–19	विशेष आमंत्रित सदस्य
8.	श्री एस. डी. मौर्य	वित्त अधिकारी	सचिव सदस्य

बिन्दु संख्या–01

वित्त समिति की बैठक दिनांक 28 अगस्त, 2017 की कार्यवृत्त एवं अनुपालन आख्या समिति के समक्ष प्रस्तुत की गयी, जिस पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–02

(क) लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया गया वित्तीय वर्ष 2018–19 का राजस्व/पूँजीगत/स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम/विकास निधि का आय–व्ययक विचार–विमर्श हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर निम्नवत् निर्णय लिए गये:–

1. राजस्व पक्ष में वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु प्रस्तुत आय–व्ययक में आय–पक्ष के अन्तर्गत रू0 13701.73 लाख की प्राप्तियॉं (उत्तर प्रदेश शासन से प्राप्त अनुदान को सम्मिलित करते हुए) सम्भावित हैं, जिसके सापेक्ष कुल व्यय रू0 16890.60 लाख का व्यय अनुमान प्रस्तुत किया गया, जिस पर समिति के द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
2. पूँजीगत पक्ष में वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु समिति के समक्ष रू0 253.7746 करोड़ की विभिन्न परियोजनाए प्रस्तुत की गयीं, जिसको समिति के माननीय सदस्यों द्वारा अवलोकित करते हुए सिद्धान्तः सहमति व्यक्त की तथा योजनाओं को उत्तर प्रदेश शासन को प्रेषित करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।
3. स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम वित्तीय वर्ष 2018–19 का आय–व्ययक मा0 वित्त समिति के सदस्यों के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया। आय–व्ययक के आय पक्ष के अन्तर्गत रू0 4692.5150 लाख की प्राप्तियों के सापेक्ष रू0 4547.8544 लाख के राजस्व व्यय पर समिति के मा0 सदस्यों द्वारा विचार–विमर्श किया गया एवं निम्न शर्तों के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया:–

(अ) स्ववित्त पोषित पाठयक्रमों से विकास निधि में हस्तांतरित धनराशि रू0 1620.00 लाख के बजट का अनुमोदन इस शर्त के साथ किया गया कि इस पर प्रस्तावित कार्यों हेतु बजट मैनुअल के सम्बन्धित निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा।

(ब) आय–व्ययक के अन्तर्गत समस्त पाठ्यक्रमों का व्यय यथा सम्भव पाठ्यक्रम से प्राप्त आय के 60 प्रतिशत की सीमा के अन्तर्गत ही किया जाए।

(स) ऐसे पाठ्यक्रम जो अपना व्यय पूर्ण रूप से नही उठा पा रहे हैं, उन्हें लखनऊ विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम से प्राप्त 40 प्रतिशत की धनराशि से मदद करते हुए उन पाठ्यक्रम को मजबूत बनाने का प्रयास किया जाएगा फिर भी यदि तीन वर्षो तक वह पाठ्यक्रम अपना व्यय करने में सक्षम नही होते है तो ऐसे पाठ्यक्रमों को बन्द करने पर विचार किया जाएगा।

(ख) लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कला एवं शिल्प महाविद्यालय द्वारा तैयार किया गया वित्तीय वर्ष 2018–19 का राजस्व/पूँजीगत/स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम के आय–व्ययक पर विचार–विमर्श किया किया गया, जिस पर निम्न निर्णय लिए गये:–

1. लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कला एवं शिल्प महाविद्यालय के राजस्व पक्ष हेतु प्रस्तुत आय–व्ययक में आय–पक्ष के अन्तर्गत रू0 136.27 लाख की प्राप्तियॉं (उत्तर प्रदेश शासन से प्राप्त अनुदान को सम्मिलित करते हुए) सम्भावित हैं, जिसके सापेक्ष कुल व्यय रू0 723.22 लाख का व्यय अनुमान प्रस्तुत किया गया, जिस पर समिति के द्वारा विचारोपरान्त निष्कर्ष निकला कि आय एवं व्यय में बहुत अधिक अन्तर है तथा बजट घाटा रू0 587.05 लाख है। इस सम्बन्ध में समिति को अवगत कराया गया कि अनुमानित व्यय में भरे पदों का व्यय मात्र रू0 507.96 लाख होगा। अतः भरे पदों के बजट रू0 507.96 लाख पर समिति के द्वारा इस शर्त के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया कि घाटे को पूर्ण करने के लिए उत्तर प्रदेश शासन को के प्रशासकीय विभाग उच्च शिक्षा को पत्र प्रेषित कर अतिरिक्त अनुदान की मॉंग की जाए। अतिरिक्त अनुदान प्राप्त न होने पर महाविद्यालय को चलाने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा।
2. लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कला एवं शिल्प महाविद्यालय के पूँजीगत पक्ष में वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु समिति के समक्ष रू0 584.65 लाख की विभिन्न परियोजनाए प्रस्तुत की गयीं, जिसको समिति के माननीय सदस्यों द्वारा अवलोकित करते हुए सिद्धान्तः सहमति व्यक्त की तथा योजनाओं को उत्तर प्रदेश शासन को प्रेषित करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

3. लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कला एवं शिल्प महाविद्यालय के स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम वित्तीय वर्ष 2018–19 का आय–व्ययक मा0 वित्त समिति के सदस्यों के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया। आय–व्ययक के आय पक्ष के अन्तर्गत रू0 87.00 लाख की प्राप्तियों के सापेक्ष रू0 85.81 लाख के व्यय पर समिति के मा0 सदस्यों द्वारा विचार–विमर्श किया गया एवं विचारोपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–03

लखनऊ विश्वविद्यालय में लागू सामान्य पाठ्यक्रमों एवं स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत ली जाने वाली शुल्क में संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। विचारोंपरान्त वित्त समिति द्वारा सिद्धान्ततः सहमति व्यक्त की गयी। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि शुल्क संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव शासन को प्रेषित कर अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए।

बिन्दु संख्या–04

वित्तीय वर्ष 2016–17 का आर्थिक चिट्ठा समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया। अवलोकनोंपरान्त समिति के द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–05

राज्य समन्वयक, उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा बी.एड. 2018–20 द्वारा प्रेषित लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित जे.ई.ई.बी.एड. 2018–20 प्रवेश परीक्षा से सम्बन्धित आय–व्ययक अनुमान पर विचार–विमर्श किया गया एवं अवलोकनोंपरान्त समिति के मा0 सदस्यों द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–06

लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित यू.जी./पी.जी./एम.फिल/पी.एच.डी./एम.एड./बी.पी.एड./एम.पी..एड./बी.एल.एड प्रवेश परीक्षा 2018–19 प्रवेश परीक्षा से सम्बन्धित आय–व्ययक अनुमान पर विचार–विमर्श किया गया। विचारोपरान्त समिति के द्वारा निर्णय लिया गया कि लखनऊ विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2018–19 के राजस्व पक्ष के अन्तर्गत उक्त मद पूर्व से ही प्राविधानित है अतः अलग से आय–व्ययक अनुमोदित करने का कोई औचित्य नही है।

बिन्दु संख्या–07

विभागाध्यक्ष शारीरिक शिक्षा विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, द्वारा विभाग में प्रवेशित छात्र/छात्राओं के भ्रमण हेतु एक 35 सीटर बस क्रय किये जाने के सम्बन्ध में प्रेषित प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। वित्त समिति द्वारा बस क्रय किये जाने का औचित्य नही पाया गया। अतः इस पर सहमति व्यक्त नही की गयी।

अन्य बिन्दु

अन्य बिन्दु संख्या–1

लखनऊ विश्वविद्यालय से सहयुक्त महाविद्यालयों में स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम एम.एड. हेतु शुल्क के निर्धारण का प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। समिति द्वारा मन्तव्य दिया गया कि वित्त समिति विश्वविद्यालय की समिति हैं। अतः कालेज सम्बन्धी फीस का निर्धारण इसकी परिधि में नही आता है।

अन्य बिन्दु संख्या–2

लखनऊ विश्वविद्यालय में अभियांत्रिकी संकाय हेतु शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के संविदा पर पद सृजन हेतु प्रस्ताव मा0 समिति के सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसपर विचारोपरान्त स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों हेतु जारी शासनादेश के आलोक में कार्यवाही करने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्य बिन्दु संख्या–3

शारीरिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में क्रय किये गये खेल उपकरणों के भुगतान के सम्बन्ध में विचार–विमर्श किया गया एवं विचारोपरान्त समिति के द्वारा सम्बन्धित पाठ्यक्रम के व्यय में सम्बन्धित मद में वर्ष 2016–17 व 2017–18 का बजट व्यपगत हो जाने तथा वर्ष 2018–19 में रू0 2.00 लाख का प्राविधान होने के कारण पुनरीक्षित बजट प्राविधान कराने के उपरान्त भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की गयी।

(के.सी. राय शर्मा)
उप–सचिव, उ0शि0
उ0प्र0 शासन

(नरेन्द्र कुमार चौबे)
अपर निदेश कोषागार एवं पेंशन
उ0प्र0 शासन

(डा0 आर. के. सिंह)
कार्यवाहक कुलसचिव

(प्रो0 ए. के. शर्मा)
परीक्षा नियंत्रक

(प्रो0 नवीन के. खरे)
राज्य समन्वयक, जे.ई.ई.बी.एड. प्रवेश
परीक्षा 2018–20

(प्रो0 अनिल मिश्रा)
कोआर्डिनेटर यू.जी./पी.जी
प्रवेश परीक्षा 2018–19

(एस. डी. मौर्य)
वित्त अधिकारी

(डा0 एस.पी. सिंह)
कुलपति